

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्या 119/2012 (रैफरैन्स-82 एल आर एक्ट)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर। .....प्रार्थी

**बनाम**

- (मृतक) रामचन्द पुत्र चिरंजी जाति बराई निवासी उहलू तहसील वैर जिला भरतपुर।
1. सरवती पत्नी रामचन्द जाति बराई निवासी उहलू तहसील वैर जिला भरतपुर।
  2. सियाराम पुत्र रामचन्द जाति बराई निवासी उहलू तहसील वैर जिला भरतपुर।
  3. सूरज पुत्र रामचन्द जाति बराई निवासी उहलू तहसील वैर जिला भरतपुर।

**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त करने आवंटन व नामान्तरकरण संख्या 371 आराजी खसरा नम्बर 843/1 रकबा 5.00 वीघा गै0मु0 नदी वाकै ग्राम उहलू तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थित:- 1. राजकीय अधिवक्ता

**निर्णय**

**दिनांक: 8.3.2018**

प्रार्थी तहसीलदार वैर (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् निरस्त करने आवंटन आ0ख0नं0 843/1 रकबा 5.00 वीघा गै0मु0 नदी वाकै ग्राम उहलू तहसील वैर जिला भरतपुर विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है। बाद न्यायिक कार्यवाही बाबजूद सूचना अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये। नियत दिनांक को पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार के द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आ0ख0नं0 843/1 रकबा 5.00 वीघा गै0मु0 नदी वाकै ग्राम उहलू तहसील वैर जिला भरतपुर जो सार्वजनिक उपयोग की है उक्त रकबा किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज है। सार्वजनिक उपयोग की गैरमुमकिन पोखर/नदी आराजी का प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरुद्ध आवंटन/नियमन किया गया है। जबकि ऐसी भूमि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत वर्जित भूमि है जिसका आवंटन/नियमन किया जाना विधि विरुद्ध है। यह कि आराजी का आवंटन दिनांक 20.10.70 को अप्रार्थी को किया गया है जिसका गैर खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 371 दर्ज हुआ। आवंटन आदेश गुर्जर आरक्षण में अग्निकाण्ड में जलने के कारण संलग्न नहीं है। यद्यपि अस्थाई आवंटन आदेश संलग्न नहीं है किन्तु नकल जमाबन्दी 2030-2033, एवं नकल जमाबन्दी 2063-2066 तथा नकल नामान्तरकरण संख्या 371 से यह तथ्य साबित होता है। जिसका गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 371 दर्ज हुआ। जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है जब आधारहीन आवंटन ही निरस्त योग्य है तो एवं उसके आधार पर खोले गये

नामान्तरकरण भी निरस्तनीय है। आधारहीन आदेश के तहत खोले जाने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। जनहित रिट याचिका 1536/2003 – अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय राजस्थान के उच्च न्यायालय के दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण मे सार्वजनिक उपयोग की आराजी गैर मुमकिन नदी/पोखर के किये गये आवंटन एव नियमन को विधि विरुद्ध माना गया है। कथनों के समर्थन में पत्रावली में नकल जमाबन्दी सम्बत 2030–2033, सम्बत 2063–2066 एव नामान्तरकरण संख्या 371 की प्रमाणित प्रतियां प्रतियां संलग्न की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आ0ख0नं0 843/1 रकबा 5.00 वीघा गै0मु0 नदी वाकै ग्राम उहलूपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर जो सार्वजनिक उपयोग की है संलग्न रिकार्ड नकल जमाबन्दी 2030–2033, सम्बत 2063–2066 एव नामान्तरकरण संख्या 371 की प्रमाणित प्रतियों से यह साबित होता कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी अंकित है। जिसका आवंटन भी विधि विरुद्ध है तथा उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 371 भी एक आधारहीन आदेश के तहत खोले जाने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। वहालत मौजूदा रिकार्ड से उक्त विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन नदी होना स्पष्ट प्रमाणित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी सार्वजनिक भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना वर्जित है। जनहित रिट याचिका 1536/2003 अब्दुल रहमान सरकार मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पारित निर्णय अनुसार सार्वजनिक उपयोग कि भूमि पर किये आवंटन / नियमन को विधि विरुद्ध मानते हुये भूमि को वापिस सार्वजनिक उपयोग मे भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के निर्देश पारित किये गये है। जब आवंटन ही प्रचलित कानून के प्रावधानो के विरुद्ध एवं निरस्त योग्य रहता है तो उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण खातेदारी/बयानामा निरस्त योग्य रहते है। पैरोकार सरकार के कथनों से हम सहमत है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रा0भू0रा0अधि0 1956 की धारा 82 के अधीन इस निवेदन के साथ प्रेषित की जाती है। विवादित आ0ख0नं0 843/1 रकबा 5.00 वीघा गै0मु0 नदी वाकै ग्राम उहलू तहसील वैर जिला भरतपुर का अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जावे तथा आवंटन के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 371 शून्य होने के कारण निरस्त किये जावे। तथा विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड मे पूर्व की भांति गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। असल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.3.2018 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर